भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1634**
**जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा**

**राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी**

**1634. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना के कुल कितने शैक्षणिक संस्थानों ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) क्या मंत्रालय की राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया में संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों के और अधिक संस्थानों तक इन शैक्षणिक साझेदारियों का विस्तार करने की कोई योजना है; और
(ग) मानकीकरण में शिक्षाविदों की अनियमित भागीदारी की चुनौतियों का समाधान करने और चल रहे अनुसंधान और मानकीकरण के लिए इसकी प्रासंगिकता के बीच तालमेल को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्री बी. एल. वर्मा)**

(क): वर्तमान में, तेलंगाना के किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

(ख): वर्तमान में, भारतीय मानक ब्यूरो ने 92 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | **क्षेत्र** | **शैक्षणिक संस्थानों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | उत्तरी | 23 |
| 2 | पूर्वी एवं पूर्वोत्तर | 24 |
| 3 | दक्षिणी | 20 |
| 4 | पश्चिमी | 19 |
| 5 | मध्य | 06 |
| कुल | | 92 |

दक्षिणी क्षेत्र में, राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | **दक्षिणी राज्य** | **शैक्षणिक संस्थानों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 |
| 2 | कर्नाटक | 5 |
| 3 | केरल | 3 |
| 4 | तमिलनाडु | 10 |
| कुल | | 20 |

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए दक्षिणी राज्यों से तीन अन्य शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की गई है (जिनमें तेलंगाना का एनआईटी वारंगल भी शामिल है)।

(ग): शैक्षणिक समुदाय हमेशा से ही महत्वपूर्ण मामलों पर तकनीकी और शोध आधारित वस्तुनिष्ठ इनपुट प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की मानक निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक रहा है। इस सहयोग को आगे बढ़ाने और शैक्षणिक समुदाय के समृद्ध वैज्ञानिक ज्ञान और शोध क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए देश भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित 92 समझौता ज्ञापनों में से 17 संस्थानों में भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडराईजेशन चेयर स्थापित की गई हैं। 92 संस्थानों की सूची **अनुलग्नक क** में दी गई है। समझौता ज्ञापनों में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। चेयर संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित उद्देश्यों को **अनुलग्नक ख** में और अन्य संस्थानों के साथ **अनुलग्नक ग** में रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो और समझौता ज्ञापन भागीदार संस्थान समझौता ज्ञापन के तहत की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान के साथ मानकों को एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे पाठ्यक्रम में मानकीकरण पर अवधारणाओं को एकीकृत करना, छात्रों के लिए भारतीय मानकों पर तकनीकी सत्र/कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करना, संकाय और शोध विद्वानों द्वारा उठाए जाने वाले मानकों पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को चालू करना, भारतीय मानक ब्यूरो की तकनीकी समितियों में संकाय की भागीदारी और छात्रों के लिए उद्योग एक्सपोजर विजिट का आयोजन करना। बीआईएस राष्ट्रीय मानकीकरण कार्यकलापों के साथ शिक्षा और अनुसंधान के बीच तालमेल पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****

**अनुलग्नक - क**

**''राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी'' के संबंध में 10.12.2024 को श्री पार्थसारधी रेड्डी द्वारा पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण**

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के 92 समझौता ज्ञापन भागीदार संस्थानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| **क्रं.सं..** | **संस्थान** |
|---|---|
| 1. | कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु |
| 2. | असम इंजीनियरिंग कॉलेज, गुवाहाटी। |
| 3. | बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान |
| 4. | भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर, बिहार |
| 5. | बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ओडिशा |
| 6. | बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज (बीबीईसी), कोकराझार |
| 7. | बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी |
| 8. | बीआईटी मेसरा, रांची, झारखंड |
| 9. | बीएमएस प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, येलहंका, बेंगलुरु |
| 10. | बुंदेलखंड इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी, उत्तर प्रदेश |
| 11. | चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़" |
| 12. | कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि, केरल |
| 13. | सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पुणे |
| 14. | कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम" |
| 15. | धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (डीए-आईआईसीटी, गांधीनगर) |
| 16. | डॉ बाबासाहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, रायगढ़ |
| 17. | डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया रायपुर |
| 18. | जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर |
| 19. | गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया |
| 20. | गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अमरावती |
| 21. | गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर |
| 22. | गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर |
| 23. | गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू |
| 24. | ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (जीईयू), देहरादून |
| 25. | गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद |
| 26. | गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना |
| 27. | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर, पश्चिम बंगाल |
| 28. | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई |
| 29. | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु |
| 30. | भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान (आईएसएम), धनबाद |
| 31. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |

| | |
|---|---|
| 32. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर |
| 33. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी |
| 34. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर |
| 35. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू |
| 36. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 37. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर |
| 38. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास |
| 39. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 40. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की |
| 41. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान -बीएचयू, वाराणसी |
| 42. | प्रौद्योगिकी संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद |
| 43. | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर |
| 44. | जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल |
| 45. | जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, जोरहाट, असम |
| 46. | केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हुबली |
| 47. | कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र |
| 48. | एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद |
| 49. | मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर |
| 50. | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर |
| 51. | मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल |
| 52. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल |
| 53. | एमबीएम, जोधपुर |
| 54. | मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद |
| 55. | मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार |
| 56. | राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल |
| 57. | राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची |
| 58. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल |
| 59. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), तारामणि, चेन्नई |
| 60. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ |
| 61. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला |
| 62. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट |
| 63. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली |
| 64. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर |
| 65. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश |
| 66. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर |
| 67. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर |
| 68. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र |
| 69. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम |
| 70. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना |
| 71. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला |

| | |
|---|---|
| 72. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम |
| 73. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर |
| 74. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली |
| 75. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड |
| 76. | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 77. | पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा |
| 78. | पीएसएनए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिंडीगुल, तमिलनाडु |
| 79. | राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि |
| 80. | राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज-आरजीयूकेटी, एपी आईआईआईटी, नुज्विद,आंध्र प्रदेश |
| 81. | एस वी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत |
| 82. | शांति लाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज, भावनगर, गुजरात |
| 83. | श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई |
| 84. | श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 85. | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कट्टनकुलथुर, तमिलनाडु |
| 86. | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला |
| 87. | यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु |
| 88. | उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 89. | वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीएसएसयूटी), बुर्ला, ओडिशा |
| 90. | वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वीजेटीआई), मुंबई |
| 91. | वेल टेक मल्टी टेक डॉ. रंगराजन डॉ. शकुंतला इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई |
| 92. | वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वीआईटी), चेन्नई |

**अनुलग्नक - ख**

**''राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी'' के संबंध में 10.12.2024 को श्री पार्थसारधी रेड्डी द्वारा पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण**

शैक्षणिक संस्थानों के साथ बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क) नये भारतीय मानकों के प्रारूपों या भारतीय मानकों के सुधार/संशोधन या ब्यूरो की अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के लिए प्रासंगिक मानकों और इनपुट के विकास की दिशा में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का समन्वय करना।

ख) मौजूदा अनुसंधान एवं विकास परियोजना आउटपुट को मानकों के साथ एकीकृत करने की पहचान करना और उसे सुविधाजनक बनाना, जैसा कि प्रासंगिक हो सकता है।

ग) उत्पाद/प्रक्रियाओं/प्रथाओं/उपयोग या अनुप्रयोग/परीक्षण/इनपुट सामग्री, उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों आदि में हुए तकनीकी विकास के गहन विश्लेषण को शामिल करते हुए भारतीय मानकों की समीक्षा करना, जो समीक्षाधीन मानक के लिए प्रासंगिक हैं।

घ) भारतीय मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन के कार्यान्वयन पर पुस्तिकाएं/साहित्य/केस स्टडी तैयार करना।

ङ) ब्यूरो की मानक निर्माण गतिविधियों में (संस्थान के नाम का संक्षिप्त नाम) के संकाय/प्रोफेसरों की भागीदारी को संवेदनशील और सुदृढ़ बनाना।

च) (संस्थान का संक्षिप्त नाम) के पाठ्यक्रम में भारतीय मानकों के एकीकरण को बढ़ावा देना तथा (संस्थान का संक्षिप्त नाम) में मानकीकरण पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम आरंभ करना।

छ) ज्ञान के प्रसार के लिए सामान्य हित के मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के विषयों पर बीआईएस-(संस्थान का संक्षिप्त नाम) संयुक्त सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी या व्याख्यान का आयोजन। ब्यूरो द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में चेयर प्रोफेसर द्वारा हर वर्ष कम से कम एक व्याख्यान दिया जाएगा।

ज) मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर अल्पकालिक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना।

झ) मानक किस प्रकार नवाचार को प्रोत्साहित/और सुकर बना सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए (संस्थान का संक्षिप्त नाम) में इनक्यूबेशन सेंटर के साथ विनिमय।

**अनुलग्नक - ग**

**''राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी'' के संबंध में 10.12.2024 को श्री पार्थसारधी रेड्डी द्वारा पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण**

अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के माध्यम से मानकीकरण गतिविधि में भाग लेना।

ख) मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करना।

ग) मानकीकरण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अवसंरचना सहायता विकसित करना। ब्यूरो मानकीकरण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अवसंरचना सहायता प्रदान करेगा। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के आधार पर अवसंचना सहायता और वित्तपोषण के लिए नियम एवं शर्तें संयुक्त रूप से तैयार की जाएंगी।

घ) आवश्यकता पड़ने पर, अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं सहित ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में आईटी आधारित तकनीकी समाधान प्रदान करना। ऐसी परियोजनाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश आपसी सहमति से अलग-अलग तैयार किए जाएंगे।

ङ) मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के विषयों पर संयुक्त रूप से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां या व्याख्यान आयोजित करना तथा इसमें भाग लेने के लिए एक-दूसरे के संकाय को आमंत्रित करना।

च) मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित समान रुचि के प्रकाशनों और अन्य साहित्य का आदान-प्रदान करना।

छ) मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

ज) अकादमिक क्षेत्र में मानकीकरण पर विषयों की शुरूआत पर विचार करना, जिसके लिए ब्यूरो मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन की अवधारणा पर शिक्षण मॉड्यूल (संस्थान का संक्षिप्त नाम) बनाने के लिए आवश्यक सभी इनपुट प्रदान करेगा।

झ) मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर प्रशिक्षण और अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से आयोजन करना।

ञ) मानकीकरण, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में (संस्थान का संक्षिप्त नाम) में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाना।

ट) (संस्थान का संक्षिप्त नाम) संकाय को सेकंडमेंट आधार पर कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने की संभावना का पता लगाना।

ठ) ब्यूरो की विभिन्न अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए (संस्थान का संक्षिप्त नाम) में उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना।

ड) सहयोग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत कोई अन्य क्षेत्र।

******